तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22.1.24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 15.5.24 को पेश हो।
15.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 28.8.24 को पेश हो।
28.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 16.12.24 को पेश हो।
16/12/24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० है बहस T.I. हेतु अवसर चाहा। T.I. आगामी पेशी तक बढ़ायी जाती है पत्रावली वास्ते बहस T.I. हेतु दिनांक 10-1-25 को पेश हो।
10.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 21.1.25 को पेश हो।
21.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. मे वकील उभयपक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के रेकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। अप्रार्थीगण सं. 1, 3 व 5 की ओर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमियां प्रत्यार्थी सं. 1 की खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिस पर प्रत्यार्थी सं. 1 ही काबिज रहकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। बहस में वकील पक्षकारान द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम केशूडा के खाता सं. 136 की कृषि भूमि ख.नं. 191 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 253 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 257 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 316 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा के सम्बन्ध में तार्कसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल के हिस्से तक बैचान न करने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी संख्या 6 के रहन दर्ज के सम्बन्ध में यह अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रभावी रहेगी। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर)	